मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 10.08.2026

साइबर क्राइम थाना व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आमजन को प्रलोभन देकर अवैध रुप से खाता खोलवाकर लाखों की ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग के 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, ऑनलाइन ठगी की घटना में प्रयुक्त लैपटाप, मोबाइल फोन, चेक बुक, वोटर आईडी, एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित चार पहिया वाहन बरामद —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के निर्देशन में ऑपरेशन 'साइबर ब्रज' के अंतर्गत साइबर अपराध पर प्रभावी नियन्त्रण बनायें रखने हेतु NCRP COMPLAINTS कि जांच एवं साइबर थाना पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना के क्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को ऑनलाइन फ्राड की घटना कारित करने वाले 04 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के माध्यम से लोकेशन ट्रैक कर, जनता के भोले-भाले लोगों को बहकाकर व कुछ पैसों का लालच देकर भिन्न-2 तरीकों से प्रतिदिन लाखों रुपये का ठगी कर आर्थिक अपराध करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए साइबर क्राइम थाना मीरजापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-07/2026 धारा 318(4) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट से सम्बन्धित 04 शातिर अभियुक्तों 1. आशीष कुमार सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी सहसपुरा थाना चुनार जनपद मीरजापुर, 2. कपिल देव भरद्वाज उर्फ मोनू पुत्र श्रवण कुमार निवासी दीक्षितपुर थाना चुनार जनपद मीरजापुर, 3. युवराज सिंह उर्फ राजा पुत्र कल्लू सिंह निवासी सहसपुरा थाना चुनार जनपद मीरजापुर व 4. आदर्श सिंह उर्फ मोनू पुत्र अजय कुमार सिंह निवासी प्रतापपुर थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। यह संगठित गैंग देशभर में अलग-2 स्थानों पर रहकर अपनी ब्रांच आफिसों के माध्यम से प्रतिदिन लाखों रूपये के साइबर फ्राड की घटना को अन्जाम दे रहे हैं। जिसमें आमजन अज्ञानता वश एवं लालच में पड़ कर इनका शिकार बन रहें हैं। संगठित गैंग के सभी अभियुक्तों के विरूद्ध अंतर्गत धारा 318(4),317(4),319(2),336(3),338 बीएनएस व 66सी, 66डी आईटी एक्ट में गिरफ्तार कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

अपराध करने का तरीका— गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा भोली-भाली जनता को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लालच देकर तथा आम जनमानस को गुमराह करके उनको कुछ पैसें की लालच देकर भिन्न-2 बैंकों में खाता खुलवाकर अपने गैंग के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराकर उन खातों में साइबर फ्राड का पैसा मंगवाकर साइबर अपराध कारित करते है तथा फ्राड के पैसे से भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

1. आशीष कुमार सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी सहसपुरा थाना चुनार जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-23 वर्ष।
2. कपिल देव भरद्वाज उर्फ मोनू पुत्र श्रवण कुमार निवासी दीक्षितपुर थाना चुनार जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-21 वर्ष।
3. युवराज सिंह उर्फ राजा पुत्र कल्लू सिंह निवासी सहसपुरा थाना चुनार जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-23 वर्ष।
4. आदर्श सिंह उर्फ मोनू पुत्र अजय कुमार सिंह निवासी प्रतापपुर थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-23 वर्ष।

विवरण बरामदगी — 02 अदद लैपटाप, 09 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद सीपीयू, 09 अदद चेक बुक, 08 अदद एटीएम कार्ड, 07 अदद पासबुक, 09 अदद आधार कार्ड, 01 अदद ड्राइवंग लाइसेंस, 01 अदद वोटर आईडी कार्ड, 01 चार पहिया वाहन टाटा हैरियर (वाहन संख्या – UP 32 KW 8999) बरामद।

पंजीकृत अभियोग —मु0अ0सं0-07/2026 धारा 318(4),317(4),319(2),336(3),338 बीएनएस व 66सी, 66डी आईटी एक्ट, साइबर क्राइम थाना मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

ग्राम उभरिया स्थित डीग्री कॉलेज के पास से, दिनांकः 09.08.2026 समय 18.44 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक राम नरायन राम, मय पुलिस टीम, साइबर क्राइम थाना, जनपद मीरजापुर।

प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह, सर्विलांस/एसओजी मय पुलिस टीम।